भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 979
गुरुवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन टर्बाइन ईंधन को युक्तिसंगत बनाना

979. श्री तापिर गावः
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री काली चरण सिंहः
डॉ. के. सुधाकरः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री मनीष जायसवालः
श्री यदुवीर वाडियारः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने टिकटों के मूल्य निर्धारण और विमान लागत संरचनाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है;

(ख) क्या एटीएफ कराधान को युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यस्ततम यात्रा अवधि के दौरान अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(घ) यात्री शिकायत निवारण और धन वापसी प्रवर्तन तंत्र में क्या सुधार किए गए हैं;

(ङ) देश में कतिपय विमान कंपनियों के विमानन एकाधिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष लंबित नए एयरलाइन लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) किसी एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च का लगभग 40-50% भाग होता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा एटीएफ पर वैट लगाने से भी इसकी कीमतों पर असर पड़ता है। इस मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एटीएफ पर उच्च वैट के मुद्दे को उठाया गया है। अभी भी 06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 18% या उससे अधिक वैट वसूल रहे हैं।

(ग): हवाई किराए सरकार के विनियमन के अधीन नहीं होते हैं और वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के अनुपालन के अध्यधीन एयरलाइनों के पास अपनी परिचालन

आवश्यकताओं के आधार पर अपने हवाई किराए का निर्धारण करने की स्वतंत्रता होती है। सरकार बाजार प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए आम तौर पर हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, तथापि, वह सतर्क भूमिका में रहती है और विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पुनर्वितरण करने और अस्थायी किराया-सीमा लगाने जैसे उपायों को अपनाकर असाधारण परिस्थितियों जैसे महामारी, महा कुंभ, पहलगाम घटना और हाल ही में इंडिगो उड़ान व्यवधानों में हस्तक्षेप करती है।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके यादृच्छिक आधार पर चयनित 78 मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराए न वसूलें। यह घरेलू यातायात का लगभग 27% कवर करता है। ऐसा करके टीएमयू एयरलाइनों के निर्धारित टैरिफ की सीमाओं के भीतर हवाई किराया स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(घ): नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने यात्री-केंद्रित गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए 24x7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (पीएसीआर) की स्थापना की है। यह पहल उड़ान व्यवधानों, सामान के मुद्दों और रिफंड की रियल-टाइम निगरानी के लिए नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एयरलाइनों को एकीकृत करती है, जिसका उद्देश्य शिकायत निवारण में तेजी लाना और समग्र यात्रा अनुभव में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, यात्री समय पर निवारण के लिए एयर सेवा पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

(ङ) और (च): नई एयरलाइन कंपनियों के लिए कोई विनियामक प्रवेश बाधाएं नहीं हैं, और एयरलाइन शुरू करने की इच्छुक कोई भी कंपनी प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए अपनी प्रस्तावित व्यवसाय योजना के साथ सरकार से संपर्क कर सकती है। पिछले दो वर्षों में, मंत्रालय ने 07 एयरलाइनों को एनओसी प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त, यातायात अधिकारों के युक्तिकरण, हवाईअड्डे की अवसंरचना के विस्तार, बहुल वाहकों द्वारा बेड़े के प्रवेश की सुविधा और 'उड़ान' योजना के तहत, जो अनेक एयरलाइनों को अल्पसेवित और असेवित मार्गों पर परिचालन करने में सक्षम बनाती है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क के विस्तार के माध्यम से क्षमता विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नागर विमानन मंत्रालय ने पारदर्शिता और समयबद्ध क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिए एनओसी जारी करने सहित नागर विमानन से संबंधित अनुमोदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए ई-सहज (सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म) क्रियान्वित किया है और डीजीसीए ने अपने ऑनलाइन ई-जीसीए/डिजिटल प्रमाणन प्रणालियों के माध्यम से एओसी हेतु आवेदनों को प्रोसेस किया है, जिसने आवेदनों की इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, ट्रैकिंग और निगरानी को सक्षम बनाया है।

*****